न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 357/2016

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– अमरावखां पुत्र दीनेखां 2– सफीखां पुत्र दीनेखां 3– जमाली पत्नी दीनेखां सभी जातियान मुसलमान साकिन नेवरा तहसील ओसियां जिला जोधपुर		1– श्रीमती रजिया पुत्री जहूरखां पत्नी सुल्तानखां जाति मुसलमान निवासी सिवांची गेट, धान मण्डी के पास जोधपुर 2– अयुबखां पुत्र सदीक खां 3– अजीज खां पुत्र सदीक खां 4– आशिन्द खां पुत्र सदीक खां जातियान मुसलमान निवासी सिवांची गेट धान मण्डी चौक जोधपुर 5– अखे खां पुत्र भीये खां जाति मुसलमान निवासी नेवरा गांव तहसील ओसियां जोधपुर 6– तहसीलदार ओसियां जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 8–6–2016 जो उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर ओसियां द्वारा अपील संख्या 8/2010 अनवान अमराव खां वगैरा बनाम रजिया वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री पदम सिह राजपुरोहित अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 6 की ओर से ।
3–शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 11–10–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गांव नेवरा तहसील ओसियां स्थित खसरा नंबर 1042, 1052, 1066 एवं 1230 कुल 4 खसरान की 156.07 बीघा भूमि के संयुक्त खातेदार अकेखां पुत्र भीयेखा तथा दीनेखां पुत्र सुमेरखां जाति मुसलमान थे । उक्त खसरा नंबरान मे से खसरा नंबर 1230 की 16.05 बीघा भूमि मे उक्त दोनो खातेदार का बराबर का हिस्सा होते हुए उक्त खसरा नंबर 1230 की सम्पूर्ण भूमि का बेचान अकेले अकेखां ने कर दिया तथा बेचान के आधार पर म्युटेशन संख्या 356 वर्ष 1972 मे स्वीकृत हुआ। उक्त म्युटेशन संखय 356 के विरूद्ध अपीलांटगण जो दीनेखां के पुत्र एवं पत्नी है, ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील पेश की जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने मयाद के बिन्दु पर दिनांक 8–6–16 को खारीज कर देने पर उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । पक्षकारो के

अधिवक्ताओं की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी मौखिक बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपील के गुणावगुण पर विचार किये बिना अपीलांट की अपील को केवल मयाद के बिन्दु पर खारीज कर दी, जो विधिसम्मत नही है ।

वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं की ओर ध्यान दिलाते हुए यह भी कथन किया कि पत्रावली वास्ते मूल रेकर्ड एवं बहस मे रखी हुई थी उसके बाद पेशी इल्तवा होती रही परंतु पत्रावली को दिनांक 8–6–16 के राजस्व केम्प मे रखने बाबत कोई नोटिस जारी नही किये गये तथा दिनांक 8–6–18 के अपीलाधीन निर्णय मे अपीलांट अथवा अन्य किसी की उपस्थिति दर्ज किये बिना ही एकतरफा निर्णय पारित का दिया, जो विधिसम्मत नही है ।

वकील अपीलांट अधिवक्ता ने ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार ओसियां से उक्त खसरा नंबर 1230 की मौका रिपोर्ट तलब की थी जो तहसीलदार ओसियां ने अपने पत्र दिनांक 5–3–14 के सलंग्न मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय मे पेश की थी, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर होते हुए अपीलाधीन निर्णय मे उसका उल्लेख किये बिना केवल अपीलांट की अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज करने मे विधिक भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान यह भी कथन किया कि अपीलाधीन खसरा नंबर 1230 की भूमि का बेचान अकेखां ने ही किया था न कि दीनेखां ने तथा कथन किया कि बेचान दस्तावेज पर दीनेखां के कोई हस्ताक्षर नही है और न ही सहमति बाबत कोई हस्ताक्षर ही है इसलिए दीनेखां ने अपने हिस्से का बेचान किया ही नही था तथा आज भी उक्त खसरा नंबर की भूमि के आधे हिस्से पर अपीलांटगण का ही कब्जा काश्त होना तहसीलदार ओसियां की रिपोर्ट मे स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही मे वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 श्रीमती रजिया पुत्री जहूरखां की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ था, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर है जिसमे अपीलाधीन भूमि के 1/2 हिस्से पर अपीलांट का भी कब्जा होना स्वीकार किया है ।

वकील अपीलांट ने अपनी मौखिक बहस के निरंतर मे दिनांक 5–10–2018 को लिखित बहस निर्णय नजीरे भी पेश की जो शामिल पत्रावली है । अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 8–6–16 एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 358 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 1972 मे बेचान के आधार पर स्वीकृत हुए म्युटेशन को अपीलांट ने लगभग 38 वर्ष के विलंब से पेश की जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज करने का जो आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं लिखित बहस के साथ प्रस्तुत निर्णय नजीरो का भी अध्ययन किया । अपीलांटगण का इस अपील मे मुख्य कथन है कि उसके पिता एवं पति द्वारा खसरा नंबर 1230 मे अपने हिस्से की भूमि का बेचान किया ही नही था और न ही उसका कब्जा सुपुर्द किया था । अपीलांटगण का उक्त खसरे की 1/2 हिस्से की भूमि पर निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 28–2–14 जो तहसीलदार ओसियां द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को दिनांक 5–3–14 को प्रेषित की है, से होती है । इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध रेस्पो0 संख्या 1 श्रीमती रजिया पुत्री जहुर जाति मुसलमान का जवाब जिसमे भी उक्त खसरा नंबर की भूमि मे 1/2 हिस्से पर अपीलांटगण का कब्जा होना बताया है अथार्त अपीलांट अपीलाधीन भूमि पर अपने काश्त होने के आधार पर अपना हक हकूक होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष म्युटेशन संख्या 358 जो कि वर्ष 1972 मे बेचान के आधार पर स्वीकृत हुआ था उसे विधिविरूद्ध होना तथा उसे निरस्त करवाने हेतु निवेदन किया जा रहा है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे मौका कमिश्नर रिपोर्ट मे खसरा नंबर 1230 मे दीने खां के वंशज व अखेखां का 1/2 – 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त की रिपोर्ट आई है तथा ये तथ्य भी सामने आये है कि जुहुर खां पुत्र रतना के जोधपुर से रूपये लेन देन मे गिरवी रखा था तथा बेचान पत्र लिख दिया । खसरे पर जुहुर खां का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा, मात्र नामांतरकरण के जरिये इन्द्राज हुआ । अखे खां का अधीनस्थ न्यायालय मे जवाब पत्र भी इसी आशय का आया है । श्रीमती रजिया पुत्री जुहुर खां के जवाब मे भी उसके स्व0 पिताजी के गांव नेवरा वाले अखे खां को पांच सौ रूपये उधार देने तथा बदले मे रहननामा लिखना बताया है । अपीलाधीन भूमि पर जुहुर खां या उसके वारिसान का कभी कब्जा काश्त नही रहा । उधार की गई रकम भी अखे खां ने वापस पिताजी को लौटाने का जिक्र जवाब मे किया है ।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त तमाम तथ्य प्रकट हो चुके थे तो ऐसे मे पक्षकारान को सुनकर प्रकरण के गुण अवगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस मे उल्लेखित तथ्यो,

अधीनस्थ न्यायालय मे वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 रजिया पुत्री जहुर खां के जवाब तथा अखे खां के जवाब तथा मौका कमिश्नर रिपोर्ट जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध होते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां ने अपीलांट की प्रथम अपील को केवल मयाद के प्रश्न पर खारीज करने बाबत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही समझते है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 8–6–2016 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर उपर वर्णित तथ्यो के मध्यनजर प्रकरण मे पक्षकारो की सुनवाई कर युक्तियुक्त निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 11–10–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

11/10/18

(मानाराम पटेल)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर